न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल म.प्र. ग्वालियर

R 1562 II\14

1 देवश प्रताप सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह.
निवासी–धोबिया टकी, जेल रोड रीवा. म.प्र

2. राजेश सिंह तनय स्व0 श्री रणजीत सिंह.
निवासी–ग्राम उदरिया तहसील जिला शहडोल

.....आवेदकगण

बनाम

1 विवेक सिंह पवार तनय स्व. श्री रणवीर सिंह पवार, निवासी–ग्राम घासीपुर, तहसील खतौली. पो.आ. मन्सूरपुर जिला मुजफ्फरपुर उ.प्र.

2 श्रीमती प्रज्ञा सिंह पत्नी विश्वेन्द्र सिह पिता स्व0 श्री रणवीर सिंह पवार, निवासी–पल्लवपुरम म.न 772 असौडा हाउस कचहरी रोड यू.पी

3. श्रीमती प्रशस्ती सिंह पत्नी श्री बृजेश सिंह पिता स्व श्री रणवीर सिंह पवार, निवासी पश्चिम पल्लवपुरम, फेस न0 2, मकान नं0 13, मेरठ उ.प्र

.....अनावेदकगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला--शहडोल

प्रकरण कमांक रिव्यू 1562--दो / 14

कार्यवाही तथा आदेश

2-6-14

प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.2262--तीन / 13 में पारित आदेश दिनांक 2--4--14 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अतर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

1- आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।

1 नई एवं महत्वपूर्ण बात, साक्ष्य पता चलना, जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2 अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती.

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिये इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों ।

सदस्य